[भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 05/2019–केंद्रीय उत्पाद शुल्क एनटी

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2019

सा.का. नि. .... (अ) वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 (2019 का 23) की धारा 132 की उप धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है अर्थात् :-

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ** –

1. (1) ये नियम सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 कहलाएंगे।

(2) यह नियम एक सितंबर 2019 से प्रवृत्त होंगे

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में जब तक कि अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता ना हो, –

(क) "योजना" से तात्पर्य वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) अध्याय V के अंतर्गत निर्दिष्ट सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना 2019 से है;

(ख) "धारा" से तात्पर्य है वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 की धारा;

(ग) "फार्म" से तात्पर्य इन नियमों के लिए फार्म संलग्न किए गए; और

(घ) इन नियमों में प्रयोग किए गए किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए और वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) में अध्याय V के अंतर्गत योजना में परिभाषित किए गए अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां उस योजना में उन्हें क्रमशः सौंपे गए अर्थ होंगे।

3. **धारा 125 के अंतर्गत उद्घोषणा का फॉर्म-** (1) धारा 125 के अंतर्गत घोषणा इलेक्ट्रॉनिक रूप से https://cbic-gst.gov.in पर फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1 में घोषणाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से कार्य किए जाने हेतु अधिकृत किसी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, द्वारा 31 दिसंम्बर 2019 से पूर्व किया जा सकता है।

(2) प्रत्येक मामले के लिए एक अलग घोषणा दायर की जाएगी।

स्पष्टीकरण - इस नियम के उद्देश्य हेतु, किसी "मामले" से तात्पर्य-

(क) कारण बताओ नोटिस, या ऐसे नोटिस, जो 30 जून 2019 को मौजूद स्थिति के अनुसार लंबित है/हैं।
(ख) बकायों में कोई धनराशि; या

(ग) ऐसे उद्धृत एक या एक से अधिक अपील या कोई पूछताछ या जांच या लेखा परीक्षा, जहां 30 जून 2019 को या उससे पहले राशि निर्धारित की गई है; या
(घ) किसी स्वैच्छिक प्रकटीकरण से है।

4. **स्वतः प्राप्ति -** घोषणा की प्राप्ति पर, एक विशिष्ट संख्या वाली स्वतः पावती प्रणाली द्वारा उत्पन्न की जाएगी।

5. **पद नामित समिति का गठन -** (1) धारा 126 के अंतर्गत पदनामित समिति में निम्नलिखित शामिल होगाः-
(क) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, और अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, ऐसे मामलों में जहां कर बकाया पचास लाख रुपये से अधिक हैः

बशर्ते कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के किसी आयुक्तालय में केवल एक ही पदनामित समिति होगी।

(ख) अपर आयुक्त संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, और उपायुक्त या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, ऐसे मामलों में जहां कर बकाया पचास लाख या उससे कम होः-

बशर्ते कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के एक आयुक्तालय में केवल एक ही पदनामित समिति होगी।

(ग) प्र. अपर महानिदेशक (स्थगन) या अपर महानिदेशक (स्थगन) महानिदेशालय, जीएसटी आसूचना, और अपर निदेशक संयुक्त निदेशक, जीएसटी आसूचना निदेशालय, दिल्ली।

2. पदनामित समिति के सदस्यों को खंड (क) और (ख) के मामले में प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जैसा भी मामला हो, द्वारा नामित किया जाएगा।

3. पदनामित समिति के सदस्यों को उपनियम (1) के उपखंड (ग) के मामले में पूर्व महानिदेशक या महानिदेशक, जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा नामित किया जाएगा।

6. **नामित समिति द्वारा सत्यापन और आकलन जारी करना आदि**- (1) धारा 125, सिवाय जब वह शुल्क की राशि के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के एक मामले से संबंधित होती है, के अंतर्गत की गई घोषणा, घोषणा द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के साथ-साथ विभाग के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निर्दिष्ट समिति सत्यापित की जाएगी।

2. धारा 127 की उप-धारा (1) और (4), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत वक्तव्य, देय राशि के ब्यौरों को उसमें स्थापित किए जाने हेतु फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 में नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उद्घोषणा की प्राप्ति के साठ दिनों की अवधिक के भीतर पदनामित समिति द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रुप से जारी किए जाएंगे।
बशर्ते कि ऐसे किसी मामले, जहाँ पदनामित समिति द्वारा यथा निर्धारित देय राशि शून्य है और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील लंबित नहीं है।

3. जहाँ घोषणाकर्ता या उसकी ओर से कार्य किए जाने हेतु अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा देय राशि का अनुमान लगाया जाता है, जो घोषणाकर्ता द्वारा घोषित राशि से अधिक है, तो, नामोदिष्ट समिति, फॉर्म एसवीएलडीआरएस-2 में, नियम 3 के उप-नियम (1) के व्यक्तिगत सुनवाई के लिए किसी अवसर के साथ-साथ आवेदक द्वारा देय राशि के एक आकलन के अतंर्गत उद्घोषणा की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करेगी।

4. यदि घोषणाकर्ता या उसकी ओर से कार्य किए जाने हेतु प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपनियम 3 के अतंर्गत आकलन के साथ सहमति या असहमति दर्शाता है या लिखित प्रस्तुतियाँ या व्यक्तिगत सुनवाई से छूट देने या स्थगन पाना चाहता है, तो वह इसे दर्शाते हुए इलेक्ट्रॉनिक रुप से एसवीएलडीआरएस-2क को फाइल करेगाः

बशर्ते यदि व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख तक इस तरह के किसी समझौते या असहमति का संकेत नहीं दिया जाता है और घोषणाकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई के लिए समिति से समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो समिति उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मामले का फैसला करेगी।

5. उप-नियम (4) के अंतर्गत किसी स्थगन हेतु किसी अनुरोध की प्राप्ति पर, निर्दिष्ट समिति फॉर्म एसवीएलडीआरएस-2ख में इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस अनुदान को दे सकती हैः
बशर्ते स्थगन के बाद व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कमेटी के सामने पेश न हों, समिति उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मामले का निर्णय करेगी।

6. फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 जारी किए जाने की तिथि के 30 दिन के भीतर, नामित समिति केवल एक अंकगणितीय त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि को ठीक किए जाने हेतु अपने आदेश को संशोधित कर सकती है, जो इलेक्ट्रॉनिक रुप से एक संशोधित फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 जारी करके घोषणाकर्ता द्वारा या स्वतः ही बतायी जा रही इस तरह की त्रुटि पर रिकॉर्ड में ही स्पष्ट है।

7. **भुगतान करने का स्वरूप और ढंग**- प्रत्येक घोषणाकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रुप से राशि जैसा कि इसके जारी होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर, निर्दिष्ट समिति द्वारा जारी किए गए फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 में दर्शाया गया है, का भुगतान करेगा।

8. **उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से अपील वापस लेने का साक्ष्य-** उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील या रिट याचिका या संदर्भ को वापस लेने का प्रमाण, जैसा भी मामला हो, धारा 127 की उप-धारा (7) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रुप से घोषित या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से कार्यवाई किए जाने हेतु अधिकृत किया जाएगा।

9. **डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जारी करना-** इस बात से संतुष्ट होने पर कि नामित समिति उसके द्वारा निर्धारित राशि फॉर्म एसवीएलडीआरएस-3 में दर्शाया गया और नियम 8 के अंतर्गत अपील या रिट याचिका या संदर्भ को वापस लेने का प्रमाण, यदि कोई हो, की प्रस्तुति पर इसका पूरा भुगतान किया गया है की घोषणा की है, तो उक्त भुगतान के 30 दिन के भीतर धारा 127 की उप-धारा (8) के अंतर्गत डिस्चार्ज एसवीएलडीआरएस-4 में एक डिस्चार्ज प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करेगा,

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहाँ नियम 6 के उप-नियम (2) में परन्तुक के आधार पर नामित समिति द्वारा कोई एसवीएलडीआरएस-3 जारी नहीं किया गया है, तो नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत घोषणा पत्र फाइल होने के 30 दिन के भीतर निर्वहन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

फा.सं. 267/78/19-सीएक्स8 (पार्ट III)

(माजिद खान)
उपायुक्त सीएक्स-8

अनुबंध

फॉर्म एसवीएलडीआरएस-1

[वित्त अधिनियम, 2019 की धारा 125 के तहत घोषणा पत्र के साथ सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियम, 2019]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियम, 2019

(फॉर्म भरने से पहले कृपया योजना को ध्यान से पढ़ें)

भाग-क

1. क्या आपके पास सीमाशुल्क या सेवाकर पंजीकरण सं. है

हाँ	नहीं

2. घोषणाकर्ता का नाम

3. घोषणाकर्ता का पता

4. पिन कोड

5. मोबाईल नं.

6. ई-मेल

7. पैन

8. आयुक्तालय का चुनाव करें।

भाग-ख

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सेवाकर पंजीकरण सं.

2. घोषणाकर्ता का नाम

3. घोषणाकर्ता का पता

4. पिन कोड

5. मोबाईल सं.

6. ई–मेल

7. पैन

8. कृपया हाँ या ना में उत्तर दें:

1.	क्या आपको ऐसे किसी मामले के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए यह घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है? *[नोटः– यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है]*	हाँ ☐	नहीं ☐
2.	क्या आपने निपटान आयोग में उस मामले के लिए आवेदन किया है जिसके लिए यह घोषणा पत्र तैयार किया गया? *[नोटः– यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है]*	हाँ ☐	नहीं ☐
3.	क्या आप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में आगे प्रस्तुत करने के लिए उत्पाद शुल्क योग्य माल के संदर्भ में यह घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं? *[नोटः– यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है]*	हाँ ☐	नहीं ☐
4.	क्या आप प्रतिदाय, त्रुटि के कारण बताओं नोटिस के संदर्भ में यह घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं?	हाँ ☐	नहीं ☐

	[नोटः- यदि आपका जवाब हाँ है तब योजना के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ है]	
5.	क्या इस मामले में न्यायिक निर्णय के संदर्भ में कोई अंतिम सुनवाई हुई है या 30.06.2019 या उससे पहले कोई अपील दायर की गई है जिसके लिए यह घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है? *[नोटः- यदि आपका जवाब हाँ है तब आप मुकदमेबाजी की श्रेणी के तहत योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है]*	हाँ ☐ नहीं ☐
6.	क्या माल/सेवाओं के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के तहत किसी भी ऐसे मामले में आपकी लेखा-परीक्षा हुई है, जिसके लिए यह घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है? *[नोटः- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है]*	हाँ ☐ नहीं ☐
7.	क्या आपको संचालित होने वाली लेखा-परीक्षा के संदर्भ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से लिखित में कुछ प्राप्त हुआ है? *[नोटः- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है]*	हाँ ☐ नहीं ☐
8.	क्या आपका किसी ऐसे मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के तहत माल, सेवाओं अथवा दोनों के संदर्भ में कोई पूछताछ या निरीक्षण किया गया है, जिसके लिए	हाँ ☐ नहीं ☐

	यह घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है: (क) परिसरों की खोज (ख) समन जारी करना (ग) लेखा दस्तावेज या अन्य साक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता (घ) बयानों की रिकॉर्डिंग *[नोटः- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है]*	
9.	क्या आपने उस अवधि के लिए कोई रिटर्न दाखिल किया है जिसके लिए घोषणा की जा रही है कि शुल्क की राशि देय है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है? *[नोटः- यदि आपका जवाब हाँ है तब स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है]*	हाँ ☐ नहीं ☐
10.	क्या इस मामले से संबंधित देय कर किसी पूछताछ, जांच या लेखा-परीक्षा के अधीन है अथवा दिनांक 30.06.2019 या उससे पहले परिमाणित नहीं किए गए हैं? *[नोटः- यदि आपका जवाब हाँ है तब जांच, पूछताछ या लेखा-परीक्षा के तहत आप योजना में आगे बढ़ने में असमर्थ है]*	हाँ ☐ नहीं ☐

9. आवेदन की श्रेणी

<table>
<tr><td rowspan="8">9.1
मुकदमा</td><td rowspan="4">9.1.1 एससीएन दिनांक 30.06.2019 तक लंबित ब्याज/विलंब शुल्क/जुर्माना (यदि कोई हो) और 30.06.2019 से पहले कोई सुनवाई नहीं हुई हो?</td><td colspan="6">क्या मामला पीआरएडीजी/एडीजी (न्यायिक निर्णय) दिल्ली द्वारा अधिनिर्णय के तहत है?</td><td>हाँ ☐</td><td colspan="5">नहीं ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">एससीएन सं. और दिनांक</td><td>ड्यूटी/कर/चुंगी</td><td>ड्यूटी/कर/चुंगी की राशि</td><td>जुर्माने की राशि</td><td>विलंब शुल्क</td><td>जमा की गई राशि, यदि कोई हो</td><td colspan="5">वकाया कर में से कर राहत घटाकर</td></tr>
<tr><td colspan="2">क</td><td>ख</td><td>ग</td><td>घ</td><td>ङ</td><td>च</td><td colspan="5">छ</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.1.1 एससीएन दिनांक 30.06.2019 तक लंबित विलंब शुल्क/जुर्माना (यदि कोई हो) और 30.06.2019 से पहले कोई सुनवाई नहीं हुई हो?</td><td colspan="2">एससीएन सं. और दिनांक</td><td>जुर्माने की राशि</td><td>विलंब शुल्क की राशि</td><td colspan="8">वकाया कर में से राहत कर घटाकर</td></tr>
<tr><td colspan="2">क</td><td>ख</td><td>ग</td><td colspan="8">घ</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>9.1.3 दिनांक</td><td>याचि</td><td>फोर</td><td>ओ-आई-ओ</td><td>ओ-आई-ओ</td><td>ड्यूटी/क</td><td>क्या ओ-</td><td>विवादास्पद ड्यूटी/कर/चुंगी की</td><td>विवा</td><td>जुर्माने</td><td>विलं</td><td>पूर्व</td><td>वका</td></tr>
</table>

	30.06.2019 को लंबित याचिका, 30.06.2019 से पहले कोई सुनवाई न हुई हो	का सं. और दायर करने की तिथि	म	सं. और दिनांक	में सुनिश्चित ड्यूटी/कर/चुंगी	र/चुंगी की राशि	आई-ओ संबंधी कोई विभागीय याचिका लंबित है	राशि				दस्पद ड्यूटी की कुल राशि	की कुल राशि	ब शुल्क की कुल राशि	जमा/ किसी अन्य जमा ड्यूटी की राशि	या कर में से कर राहत घटाकर
		क	क1	ख	ग	ग	ङ	च				छ	ज	झ	ञ	ट
								घोषणाकर्ता की याचिका		विभागीय याचिका (वैकल्पिक क्षेत्र)						
								ड्यूटी /कर /चुंगी	राशि	ड्यूटी/कर /चुंगी	राशि					
9.2 एपीआरईएआरएस	9.2.1 याचिका दायर नहीं	आदेश सं. और प्राप्ति की तारीख		फोरम	ओ-आई-ओ या ओ-आई-ओ में सुनिश्चित ड्यूटी/कर/चुंगी	ड्यूटी/कर/चुंगी की राशि	ओ-आई-ओ अथवा ओ-आई-ए पर अधिरोपित की गई जुर्माने की राशि	ओ-आई-ओ अथवा ओ-आई-ए पर अधिरोपित की गई विलंब शुल्क की राशि				पूर्व जमा/ किसी अन्य जमा ड्यूटी की राशि	वकाया कर में से कर राहत घटाकर			
		क		ख	ग	घ	ङ	च				छ	ज			
	9.2.2 विवरण में घोषित देय	अवधि जिसके लिए रिटर्न		रिटर्न दाखिल	माल/सेवाओं का ब्यौरा	विवरण में	विवरण में घोषित देय	वकाया कर में से कर राहत घटाकर								

	वकाया कर, किन्तु चुकाया नहीं	दाखिल किया	किए जाने की तिथि		घोषित देय/ड्यूटी/कर/ चुंगी किन्तु चुकाया नहीं गया	वकाया कर, किन्तु चुकाया नहीं		
		क	ख	ग	घ	ङ	च	
9.3 चांज पूछताछ या लेखा-परीक्षा	9.3.1 डीजीजीआई दावारा जांच	ड्यूटी/कर/चुंगी	परिमाणित कुल राशि	परिमाणित राशि की संदर्भ सं. और प्रेषण तिथि	माल/सेवाओं का ब्यौरा	शामिल मुद्दे	जमा की गई राशि	वकाया कर में से कर राहत घटाकर
		क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
	9.3.2 आयुक्तालय द्वारा जांच	ड्यूटी/कर/चुंगी	परिमाणित कुल राशि	परिमाणित राशि की संदर्भ सं. और प्रेषण तिथि	माल/सेवाओं का ब्यौरा	शामिल मुद्दे	जमा की गई राशि	वकाया कर में से कर राहत घटाकर
		क	ख	ग	घ	ङ	च	छ

	9.3.3 लेखा-परीक्षा	ड्यूटी/कर/चुंगी	परिमाणित कुल राशि	परिमाणित राशि की संदर्भ सं. और प्रेषण तिथि	माल/सेवाओं का ब्यौरा	शामिल मुद्दे	जमा की गई राशि	वकाया कर में से कर राहत घटाकर
		क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
9.4 स्वैच्छिक प्रकटीकरण		ड्यूटी/कर/चुंगी	परिमाणित कुल राशि	शामिल अवधि	माल/सेवाओं का ब्यौरा	शामिल मुद्दे	वकाया कर में से कर राहत घटाकर	
		क	ख	ग	घ	ङ	च	

10. क्या आप व्यवस्था के तहत आंकलित किए गए कर राहत में से देय कर घटाने से सहमत हैं? हाँ/नहीं

11. यदि नहीं, तो असहमति का कारण बताएं:

12. आपके आकलन के अनुसार कर राहत में से देयकर घटाकर राशि

<u>सत्यापन</u>

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना 2019 को पढ़ एवं समझ लिया है और योजना के प्रावधानों और शर्तों का पालन करूँगा, और घोषणा पत्र में दी गई सूचना सही एवं पूर्ण है एवं प्रसुत्त किए गए देय करों और अन्य ब्यौरों की राशि वस्तुतः सही है। मैं योजना के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा जमा की गई राशि अदा कर दूँगा।

मैं योजना के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा जमा की गई राशि अदा कर दूँगा।

घोषणा पत्र दाखिल करने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि/घोषणाकर्ता का नाम:

दिनांक: तिथि/माह/2019

पूर्वावलोकन

प्रस्तुत

<u>फार्म एसवीएलडीआरएस-2</u>

[पदनामित समिति द्वारा जारी किए जाने हेतु सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 के साथ पठित 2019 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत आकलन]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019

उद्घोषणा सं. ....
एसवीएलडीआरएस-2 ....
आयुक्तालय/डीजीजीआई, दिल्ली ....
जोन/डीजीजीआई, दिल्ली......................................

जबकि पंजीकरण सं./गैर निर्धारित कोड सं. ....वाले श्री/सुश्री/मैसर्स (एतश्मिनपश्चात् उद्घोषणाकर्ता के रूप में संदर्भित) ने वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 125 के अतंर्गत एक उद्घोषणा सं. .... दिनांक ....फाइल की है;

अतः, अब, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नामित समिति, अभिलेख आधारित त्थ्यों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 के अंतर्गत उक्त उद्घोषणा द्वारा आविष्ट उसके/उसकी/उनके कर बकायों के पूर्ण और अनंतिम व्यवस्थापन के प्रति घोषणाकर्ता द्वारा देय निम्नलिखित आकलन राशि को निर्धारित करती हैः

*ड्यूटी/कर/उपकर का नाम

श्रेणी	माल/सेवा का विवरण	समाविष्ट मसौदा	समयावधि	बकाया कर		कर राहत	ड्यूटी का पूर्व-निवेश या कोई अन्य निवेश	देय अनुमानित राशि	
क	ख	ग	घ	ङ		च	छ	ज	
				नाम* ई1	राशि ई2			नाम* एच1	राशि एच2

व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस

यदि घोषणाकर्ता, नामित समिति द्वारा यथा निर्धारित, देय आकलन राशि से सहमत नहीं है तो इसके कारणों के स्पष्टीकरण हेतु उनसे ...../....../2019 को .... प्रातः/सायं बजे .... (पता) पर नामित समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। यदि वांछित हो तो कृपया फॉर्म एसवीएलडीआरएस-2क व्यक्तिगत सुनवाई की कोई अन्य तिथि और समय जमा करें।

<u>नामित समिति के सदस्य</u>

1. नाम:
   पदनाम:

2. नाम:
   पदनाम:

(यह एक कंप्यूटर जनित प्रिंट है। अतः किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है)

स्थान...........................
दिनांक...........................

पूर्वावलोकन

प्रस्तुत

फार्म एसवीएलडीआरएस-2क

[सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 के निमय 6 के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत लिखित प्रस्तुतियाँ, व्यक्तिगत सनवाई की छूट और स्थगन]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019

1. क्या आप एसवीएलडीआरएस-2 सं. में अनुमान से सहमत हैं.................. **हाँ** **नहीं**
2. क्या आप लिखित प्रस्तुति करना चाहते हैं: हाँ नहीं
3. असहमति के कारणों सहित लिखित प्रस्तुति:

4. क्या आप अपनी प्रस्तुति के समर्थन में दस्तावेज अधिभारित करना चाहते हैं? **हाँ** **नहीं**

   यदि हाँ, तो दस्तावेज अधिभारित करें

5. क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई से माफी चाहते हैं? **हाँ** **नहीं**
6. क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई की पेशकश को स्थगित करना चाहते हैं? **हाँ** **नहीं**
7. सुनवाई के लिए पसंदीदा तिथि बताएं: तिथि/माह/2019
8. घोषणाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम:

तिथि: तिथि/माह/2019

पूर्वावलोकन

प्रस्तुत

<u>फार्म एसवीएलडीआरएस-2ख</u>

[सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 के निमय 6 के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत स्थगन के पश्चात् व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019

सेवा में,

श्री/सुश्री/मैसर्स ....

पंजीकरण सं. ....

सुचित किया जाता है कि सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 के अतंर्गत आपके द्वारा फाइल की गई विषयपरक घोषणा सं. .... के संबंध में नामित समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई...................................(पता) के कार्यालय में ....(तिथि) को ....(प्रातः/सायं) बजे नियत की गई है।

कृपया नोट करें कि व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने में विफलता के मामले में नामित समिति आप के और आगे संदर्भ के बिना अभिलेख आधारित तथ्यों के आधार पर कानूनी प्रावधानों के अनुसरण में आपकी उद्घोषणा के संबंध में क निर्णय लेगी।

<u>नामित समिति के सदस्य</u>

1. नाम:
   पदनाम:

2. नाम:
   पदनाम:

(यह एक कंप्यूटर जनित प्रिंट है। अतः किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है)

स्थान............................
दिनांक............................

फार्म एसवीएलडीआरएस-3

[नामित समिति द्वारा जारी किए जाने हेतु सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 के नियम 6 के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत वक्तव्य]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019

उद्घोषणा सं. ....
एसवीएलडीआरएस-3 सं. ....
आयुक्तालय/डीजीजीआई, दिल्ली ....
जोन/डीजीजीआई, दिल्ली..

जबकि पंजीकरण सं./गैर निर्धारित कोड सं. ....वाले श्री/सुश्री/ मैसर्स (एतश्मिनपश्चात् उद्घोषणाकर्ता के रूप में संदर्भित) ने वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 125 के अतंर्गत एक उद्घोषणा सं. .... दिनांक ....फाइल की है;

अतः, अब, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 की उप-धारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नामित समिति, अभिलेख आधारित त्थ्यों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा योजना के अंतर्गत उक्त उद्घोषणा द्वारा आविष्ट .... (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944/वित्त विधेयक, 1994/उपकर अधिनियम) कर बकायों के पूर्ण और अनंतिम व्यवस्थापन के प्रति घोषणाकर्ता द्वारा देय निम्नलिखित आकलन राशि को निर्धारित करती हैः

श्रेणी	**माल/सेवा का विवरण**	**समाविष्ट मसौदा**	**समयावधि**	**बकाया कर**		**कर राहत**	**ड्यूटी का पूर्व-निवेश या कोई अन्य निवेश**	**देय अनुमानित राशि**	
क	ख	ग	घ	ङ		च	छ	ज	
				नाम* ई1	राशि ई2			नाम* एच1	राशि एच2

*ड्यूटी/कर/उपकर का नाम

टिप्पणी:

(1) इस वक्तव्य की तिथि से तीस दिन के भीतर देय राशि का भुगतान के जाने हेतु घोषणाकर्ता को एतद्द्वारा निदेश दिया गया है।

(2) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के उप-धारा (7) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, कर बकाया के संबंध में किसी आदेश और इस तरह के आहरम के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने विरुद्ध निर्णायक को ....(उच्च न्यायालय के नाम का उल्लेख) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से पहले रिट याचिका/अपील संदर्भ को वापस लेना होगा;

नामित समिति के सदस्य

1. नाम:
   पदनाम:

2. नाम:
   पदनाम:

(यह एक कंप्यूटर जनित प्रिंट है। अतः किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है)

स्थान.........................
दिनांक..........................

घोषणाकर्ता के लिए

शुल्क भुगतान के लिए चालान लिंक की सुविधा ....

मामला वापस लेने के साक्ष्य के लिए दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा.........................

घोषणाकर्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम:

दिनांक: तिथि/माह/2019

पूर्वावलोकन

प्रस्तुत

फार्म एसवीएलडीआरएस -4

[सबका विश्वास (वरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019 के नियम 9 के साथ पठित वित्त (सं0. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत कर बकाया के पूर्ण और अंतिम व्यवस्थापना हेतु निर्वहन प्रमाणपत्र]

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना नियमावली, 2019

उद्घोषणा सं0................
एसवीएलडीआरएस-4 सं0...................
आयुक्तालय/डीजीजीआई, दिल्ली....................
जोन/डीजीजीआई, दिल्ली ....

जबकि पंजीकरण संख्या .... वाले ....(घोषणाकर्ता का नाम और पता) ने वित्त (सं0. अधिनयम, 2019 की धारा 125 के अंतर्गत एक उद्घोषण की थी ;

और जबिक वित्त (सं0.2) अधिनयम, 2019 की धारा 127 के अंतर्गत दिनांक .... के एक वक्तव्य को जारी किए जाने के द्वारा नामित समिति ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार कर बकायों के पूर्ण और अंनतिम व्यवस्थापन के प्रति योजना के प्रावधनों के अनुसरण में घोषणकर्त्ता द्वारा देय ....रु0(...........रुपए) की राशि निर्धारित की:

श्रेणी	**माल/सेवा का विवरण**	**समाविष्ट मसौदा**	**समयावधि**	**बकाया कर**		**कर राहत**	**ड्यूटी का पूर्व-निवेश या कोई अन्य निवेश**	**देय अनुमानित राशि**	
क	ख	ग	घ	ङ		च	छ	ज	
				नाम* ई1	राशि ई2			नाम* एच1	राशि एच2

और जबकि घोषणाकर्ता ने वित्त (सं0.2) अधिनयम, 2019 की धारा 126 के अंतर्गत नामित समति द्वारा निर्धरित राशि देय होने के नाते ....रु0(..........रुपए) का भुगतान किया ;

और जबकि घोषणाकर्ता ने बकाया कर के संबंध में किसी भी आदेश के विरुद्ध ....(आयुक्त (अपील) के नाम या सेसटैट (शाखा का नाम) का उल्लेख) के समक्ष एक अपील फाइल की थी और जबकि वित्त

(सं0.2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 की उप-धारा (7) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, उक्त अपील वापस ली गई समझी जाती है;

या

और जबकि घोषणाकर्त्ता ने देय कर के संबंध में किसी भी आदेश के विरुद्ध......................(उच्च न्यायालय के नाम का उल्लेख) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी रिट् याचिका/अपील/संदर्भ को फाइल किया था और

घोषणकर्ता ने उक्त रिट याचिका/अपील/संदर्भ और वित्त (सं0.2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 की उप-धारा (7) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में ऐसी वापसी के प्रस्तुत प्रमाण को वापस ले लिया है;

अतः अब, वित्त (सं0. 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नामित समिति एतद्वारा उक्त घोषणकर्ता को निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करती है:-

(क) उपर्युक्त घोषणकर्ता द्वारा की गई उद्‌घोषणा सं0............. दिनांक .... में निर्धारित देय कर के पूर्ण और अनंतिम व्यवस्थापन के प्रति घोषणकर्त्ता से भुगतान की प्राप्ति को प्रमाणित करना;

(ख) उपर्युक्त मामले के संबंध में किसी भी आगे की ड्यूटी, ब्याज या जुर्माना के भुगतान से घोषणकर्त्ता को डिस्चार्ज करना;

(ग) उपर्युक्त मामले के संबंध में उक्त अधिनियमन के अंतर्गत शास्ति के अधिरोपण से या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944/वित्त अधिनियम 1944/वित्त अधिनयम 1994 का अध्याय V/......... उपकर अधिनयम ....) के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अभियोजन हेतु किसी कार्यवाही की स्थापना से, योजना में समाविष्ट प्रावधानों के अध्यधीन, प्रतिरक्षा प्रदान करना; और

(घ)

(a) इस डिस्चार्ज प्रमाणपत्र के सबंधे में वित्त (नंबर 2) अधिनियम 2019 की धारा 129 और 131 के प्रावधान लागू होंगे ।

नामित समिति के सदस्य

1. नाम:
   पदनाम:

2. नाम:
   पदनाम

(यह एक कंप्यूटर जनित प्रिंट है। अतः किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है)

स्थान........
तिथि ....

सेवा में

1. घोषणाकर्त्ता
2. अधिनिर्णयन अधिकारी
3. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीजीएसटी (क्षेत्राधिकारी)
4. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीजीएसटी/प्र.महानिदेशक, डीजीजीआई
5. संबंद्ध अपीलीय मंच

एनबी: जो भी लागू न हो उसे हटा दें।

पूर्वावलोकन

प्रस्तुत